

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

* अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

* द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य के विभिन्न नगर निकायों में "मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना" मद अंतर्गत देनदारी की राशि के रूप में कुल राशि ₹3103.10604 लाख (एकतीस करोड़ तीन लाख दस हजार छः सौ चार रु०) मात्र की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य के विभिन्न नगर निकायों में "मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना" मद अंतर्गत कराये गये अथवा कराये जा रहे कार्यों के लिए संबंधित नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित पत्रों द्वारा स्तम्भ- 4 में अंकित राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त अनुरोध के आलोक में निम्न तालिका के स्तम्भ- 2 में अंकित नगर निकायों को स्तम्भ- 5 में अंकित कुल राशि ₹3103.10604 लाख (एकतीस करोड़ तीन लाख दस हजार छः सौ चार रु०) मात्र मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना मद से निम्नवत् स्वीकृत की जाती है:-

(राशि लाख में)

| क्र० सं० | नगर निकाय का नाम | अधियाचना पत्र | अधियाचित राशि | स्वीकृत राशि |
|----------|----------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | नगर परिषद्, मधेपुरा | 67 / 20.01.2020 | 456.03703 | 456.03703 |
| 2 | नगर परिषद्, भभुआ | 173 / 29.01.2020 | 302.29747 | 302.29747 |
| 3 | नगर परिषद्, बगहा | 1153 / 10.12.2019 | 542.35400 | 542.35400 |
| 4 | नगर पंचायत, मोहनियाँ | 183 / 13.02.2020 | 313.95500 | 313.95500 |
| 5 | नगर पंचायत, जगदीशपुर | 163 / 31.01.2020 | 553.99671 | 553.99671 |
| 6 | नगर पंचायत, महुआ | 142 / 31.01.2020 | 42.06669 | 42.06669 |
| 7 | नगर पंचायत, कोचस | 873 / 11.12.2019 | 233.79912 | 233.79912 |
| 8 | नगर पंचायत, नोखा | 1331 / 18.12.2019 | 59.84094 | 59.84094 |
| 9 | नगर पंचायत, मैरवा | 945 / 14.12.2019 | 598.75908 | 598.75908 |
| कुल योग | | | 3103.10604 | 3103.10604 |

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹3103.10604 लाख (एकतीस करोड़ तीन लाख दस हजार छः सौ चार रु०) मात्र।

3. उक्त स्वीकृत ₹3103.10604 लाख (एकतीस करोड़ तीन लाख दस हजार छः सौ चार रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98, पत्रांक- 256, दिनांक- 26.02.2019, पत्रांक- 732, दिनांक- 31.07.2019 एवं पत्रांक- 733, दिनांक- 31.07.2019 (प्रथम अनुपूरक) में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। **प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि संबंधित नगर निकायों के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।** राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।
4. राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक- 63, दिनांक- 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BTC- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।
5. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”
6. उक्त स्वीकृत ₹3103.10604 लाख (एकतीस करोड़ तीन लाख दस हजार छः सौ चार रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष- 0102-परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217037890102, विषय शीर्ष- 0102.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण से की जायेगी।
7. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।
8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
9. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- 2ब०/ना०ग०-30-01/2019 के पृष्ठ सं०-.....23...../टि० पर दिनांक-28.10.2020 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-.....24...../टि० पर दिनांक-28.10.2020 को प्राप्त है।
10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

11. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्- मधेपुरा, बगहा, एवं भभुआ तथा नगर पंचायत- मोहनियाँ, जगदीशपुर, महुआ, कोचस, नोखा एवं मैरवा/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/ना०ग०-30-01/2019 236 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-03/03/2020

प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्- मधेपुरा, बगहा, एवं भभुआ तथा नगर पंचायत- मोहनियाँ, जगदीशपुर, महुआ, कोचस, नोखा एवं मैरवाँ/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.03.2020
सरकार के विशेष सचिव।